दीपक प्रकाश
सांसद (राज्य सभा) झारखंड
सचेतक–राज्यसभा
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष–झारखंड भा.ज.पा.
सह प्रभारी–बिहार भा.ज.पा.
संसदीय स्थायी समिति–कोयला खान एवं इस्पात
परामर्शदात्री समिति–विद्युत मंत्रालय
संयुक्त समिति–लाभ के पदो सम्बन्धी
सदस्य–विशेषाधिकार समिति

सत्यमेव जयते

DEEPAK PRAKASH
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Jharkhand
Whip Rajya Sabha

Ref. No. / पत्र सं. : May/718/2026
Date / दिनांक : 15-05-2026

सेवा में,
श्री हेमंत सोरेन,
माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड।

विषय : त्रिकूट रोपवे हादसा मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी,

मैं आपका ध्यान 10 अप्रैल 2022 को देवघर में हुए दुखद त्रिकूट रोपवे हादसे की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जिसमें तीन निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा कई अन्य लोग घंटों तक अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में फंसे रहे थे।

हाल के समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से यह गंभीर चिंता सामने आई है कि घटना के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले की आपराधिक जांच अधूरी है। इतने गंभीर हादसे के बावजूद जांच में हो रही देरी जवाबदेही और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि मोहनपुर थाना कांड संख्या 53/2022 में तीन लोगों की मृत्यु जैसे गंभीर मामले के बावजूद केवल जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की निष्पक्ष एवं समुचित जांच हो तथा जांच में जो आरोप सत्य पाए गए हैं, उनके अनुरूप अंतिम आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जाए।

यह भी अत्यंत आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण है कि देवघर पुलिस ने अपने ही आरोपपत्र में यह उल्लेख किया है कि मामले में केवल साइट मैनेजर श्री विनीत सिन्हा ही नहीं, बल्कि दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य चमारिया के विरुद्ध भी आरोप सत्य पाए गए। इसके बावजूद आरोपपत्र केवल साइट मैनेजर के विरुद्ध दाखिल किया गया, जबकि श्री आदित्य चमारिया के विरुद्ध जांच लंबित रखी गई।

इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जांच पदाधिकारी ने आरोपपत्र में यह उल्लेख किया है कि ऐसा निर्णय वरीय पुलिस अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर लिया गया था। हादसे के चार वर्ष बाद भी प्रबंध निदेशक के विरुद्ध जांच लंबित है तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु कोई प्रभावी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।

इससे आम जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है।

New Delhi-19, Feroz shah Road, New Delhi-110001 नई दिल्ली-19, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001
Jharkhand - A-39, Near Patel Park, Harmu, Ranchi-834002 झारखंड - ए-39, पटेल पार्क, हरमू, रांची-834002
दूरभाष / Ph.: / 0651-2245050, 011-23072331 ई-मेल / E-mail : dprakashbjp@gmail.com, dprakash.bjp@sansad.nic.in

इसके अतिरिक्त, यद्यपि झारखंड पर्यटन विकास निगम (JTDC) ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड पर 9.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, तथापि समाचारों के अनुसार उक्त राशि की वसूली को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जनता के विश्वास को कमजोर करती है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि न्यायहित एवं जनभावनाओं के सम्मान में इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि किन पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच पदाधिकारी को श्री आदित्य चमारिया के विरुद्ध जांच लंबित रखने का मौखिक निर्देश दिया गया, जबकि उनके विरुद्ध आरोप सत्य पाए गए थे। साथ ही, मामले की जांच में हुई अनावश्यक देरी एवं लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए अनुपूरक जांच शीघ्र पूर्ण कर सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पाए गए अपराधों के अनुरूप विधिसम्मत आरोपपत्र दाखिल किया जाए। दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आदित्य चमारिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने अथवा बचाने का प्रयास किया गया हो, तो उनके विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इसके अतिरिक्त, JTDC द्वारा कंपनी पर लगाए गए ₹9.11 करोड़ के जुर्माने की प्रभावी वसूली सुनिश्चित की जाए।

झारखंड सरकार स्वयं कंपनी की लापरवाही और संचालन संबंधी विफलताओं को स्वीकार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया को भी तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए। न्याय एवं कानून के शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के हित में मुझे आशा है कि आपकी सरकार इस मामले में शीघ्र और निर्णायक कदम उठाएगी, ताकि मृतकों के परिजनों को न्याय मिल सके।

सधन्यवाद,

भवदीय

(दीपक प्रकाश)